



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112020-222942
CG-DL-E-04112020-222942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3509]
No. 3509]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 3, 2020/कार्तिक 12, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 3, 2020/KARTIKA 12, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3973(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का.आ. 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 5, 11 और 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसको संक्षिप्त रूप में एनपीपीए कहा जाता है) नीचे की सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य को उक्त सारणी के स्तंभ (3), (4) और (5) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता, इकाई (यूनिट) और विनिर्माता और विपणन कंपनियों के नाम सहित स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम खुदरा मूल्य के रूप में नियत करती है

सारणी

क्र.सं.	विनिर्माता का नामब्रांड / का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मोक्सीफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड + डेक्सामेथासोन फॉस्फेट आई ड्राप	प्रत्येक मिली में: मोक्सीफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी मोक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% डब्ल्यू/वी के बराबर डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट	1 मिली	मैसर्स स्काइमैप हेल्थकेयर प्रा . लिमिटेड / मैसर्स अल्वर्ट डेविड लिमिटेड	19.02

क्र.सं.	विनिर्मिति का नामब्रांड / का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		डेक्सामेथासोन फॉस्फेट 0.1% डब्लू/वी के बराबर,			
2.	सिप्रोफ्लोक्सासिन + डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट आई ड्रॉप	घटक: सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी सिप्रोफ्लोक्सासिन 0.3% डब्लू/वी के बराबर डेक्सामेथासोन आईपी 0.1% डब्लू/वी	1 मिली	मैसर्स स्काइमैप हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड / मैसर्स अल्वर्ट डेविड लिमिटेड	1.35
3.	ओफ्लॉक्सासिन + डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट आई /ईयर ड्रॉप्स	घटक: ओफ्लॉक्सासिन आईपी 0.3% डब्लू/वी डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट आईपी 0.1% डब्लू/वी	1 मिली	मैसर्स स्काइमैप हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड/ मैसर्स अल्वर्ट डेविड लिमिटेड	3.77
4.	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड + डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट आई ड्रॉप	प्रत्येक मिली में: सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 0.3% डब्लू/वी के बराबर, डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट 0.1% डब्लू/वी के बराबर	1 मिली	मैसर्स एक्सा पैरेंटल लिमिटेड/ मैसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1.35
5.	टेलिमसर्टन + सिल्लिडिपिन + मेटोप्रोलोल गोली (टेलमिप्रिम एम सी 25)	प्रत्येक अलिपित बाईलेयर गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिग्रा. सिल्लिडिपिन आईपी 10 मिग्रा. मेटोप्रोलोल सकसिनेट आईपी 23.75 मिग्रा. मेटोप्रोलोल टारटरेट 25 मिग्रा. के बराबर (एक्सटेंडेड रिलीज रूप में)	1 गोली	मैसर्स स्विस् गार्नियर जिनेक्सिया साइंसेज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स प्राइमस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	10.16
6.	टेलिमसर्टन + सिल्लिडिपिन + मेटोप्रोलोल गोली (टेलमिप्रिम एम सी 50)	प्रत्येक अलिपित बाईलेयर गोली में: टेलिमसर्टन आईपी 40 मिग्रा. सिल्लिडिपिन आईपी 10 मिग्रा. मेटोप्रोलोल सकसिनेट आईपी 47.50 मिग्रा. मेटोप्रोलोल टारटरेट 50 मिग्रा. के बराबर (एक्सटेंडेड रिलीज रूप में)	1 गोली	मैसर्स स्विस् गार्नियर जिनेक्सिया साइंसेज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स प्राइमस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	12.41
7.	मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एसआर) + ग्लिक्लाजाइड (ईआर) + पियोग्लिटज़ोन हाइड्रोक्लोराइड गोली (प्रिजाईड एमपी 30)	प्रत्येक लिपित बाईलेयर गोली में: मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिग्रा. (सस्टेंड रिलीज फॉर्म में) ग्लिक्लाजाइड आईपी 30 मिग्रा. (एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में) पियोग्लिटज़ोन हाइड्रोक्लोराइड आईपी पियोग्लिटज़ोन 15 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	मैसर्स स्विस् गार्नियर जिनेक्सिया साइंसेज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स प्राइमस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	6.15
8.	मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एसआर) + ग्लिक्लाजाइड (ईआर) + पियोग्लिटज़ोन हाइड्रोक्लोराइड गोली (प्रिजाईड एमपी 60)	प्रत्येक लिपित बाईलेयर गोली में: मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिग्रा. (सस्टेंड रिलीज फॉर्म में) ग्लिक्लाजाइड आईपी 60 मिग्रा. (एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म में) पियोग्लिटज़ोन हाइड्रोक्लोराइड आईपी पियोग्लिटज़ोन 15 मिग्रा. के बराबर	1 गोली	मैसर्स स्विस् गार्नियर जिनेक्सिया साइंसेज प्रा. लिमिटेड / मैसर्स प्राइमस रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड	8.69
9.	क्लोट्रिमेज़ोल + लियोकाइन	घटक: क्लोट्रिमेज़ोल आईपी 1.0% डब्लू/वी	1 मिली	मैसर्स स्काइमैप हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	5.93

क्र.सं.	विनिर्माता का नामब्रांड / का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हाइड्रोक्लोराइड ईयर ड्रॉप्स	लियोकाइन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 2.0% डब्लू/वी			
10.	मोक्सीफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड + डेक्सामेथासोन फॉस्फेट आई ड्रॉप्स	प्रत्येक मिली में: मोक्सीफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी मोक्सीफ्लोक्सासिन 0.5% डब्लू/वी के बराबर डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट आईपी डेक्सामेथासोन फॉस्फेट 0.1% डब्लू/वी के बराबर,	1 मिली	मैसर्स स्काइमैप हेल्थकेयर प्रा. लिमिटेड	19.02
11.	एटोरवास्टेटिन + क्लोपिडोग्रेल + एस्पिरिन कैप्सूल (एटॉकर गोल्ड 20)	प्रत्येक हार्ड जिलाटिन कैप्सूल में: एटोरवास्टेटिन कैल्शियम आईपी एटोरवास्टेटिन 20 मिग्रा. (फिल्म लिपित गोली के रूप में), क्लोपिडोग्रेल बिसलफेट आईपी क्लोपिडोग्रेल 75 मिग्रा. के बराबर (फिल्म लिपित गोली के रूप में) एस्पिरिन आईपी 75 मिग्रा. (एंटीक लिपित गोली रूप में)	1 कैप्सूल	मैसर्स अकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड/ डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड	5.50
12.	रोसुवास्टेटिन + एस्पिरिन + क्लोपिडोग्रेल कैप्सूल	प्रत्येक हार्ड जिलाटिन कैप्सूल में: रोसुवास्टेटिन कैल्शियम आईपी रोसुवास्टेटिन 20 मिग्रा. के बराबर (पेलेट्स के रूप में) एस्पिरिन आईपी 75 मिग्रा. (एंटीक लिपित पेलेट्स रूप में) क्लोपिडोग्रेल बाईसलफेट आईपी क्लोपिडोग्रेल 75 मिग्रा. के बराबर (पेलेट्स के रूप में)	1 कैप्सूल	मैसर्स सिनोकैम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	18.48
13.	पैरासिटामोल + कैफीन गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : पैरासिटामोल आईपी 650 मिग्रा. कैफीन एनहाईड्रस आईपी 50 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स एकमे जेनरिक एलएलपी/ मैसर्स सिप्ला लिमिटेड	2.74
14.	एजेलनिडीपाइन + टेलमिसर्टन गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित बाईलेयर गोली में : एजेलनिडीपाइन आईपी 8 मिग्रा. टेलमिसर्टन आईपी 80 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स सिनोकैम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड /मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.	16.16
15.	एजेलनिडीपाइन + टेलमिसर्टन टैबलेट	प्रत्येक फिल्म लिपित बाईलेयर गोली में : एजेलनिडीपाइन आईपी 8 मिग्रा. टेलमिसर्टन आईपी 40 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स सिनोकैम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड /मैसर्स ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	12.93
16.	कैल्शियम + विटामिन डी३ + मिथाइलकोबालामिन + एल-मिथाइलफोलेट कैल्शियम + पाइरिडोक्सल -5- फोस्फेट गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : कैल्शियम कार्बोनेट आईपी 1250 मिग्रा. एलेमेंटल कैल्शियम 500 मिग्रा. के बराबर, विटामिन डी 3 आईपी 2000 आईयू मेकोबालामिन आईपी (मेथिलकोबालामिन)1500 एमसीजी, एल फोलेटमिथाइल कैल्शियम -1 मिग्रा., पाइरिडोक्सल -5- फॉस्फेट 20 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स अकुम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स सिप्ला लिमिटेड	17.78

क्र.सं.	विनिर्माता का नामब्रांड / का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	एज़ेलनिडीपाइन + टेलमिसर्टन गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित बाईलेयर गोली में : एज़ेलनिडीपाइन आईपी 8 मिग्रा. टेलमिसर्टन आईपी 40 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स सिनोकैम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड / मैसर्स एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	12.93
18.	एज़ेलनिडीपाइन + टेलमिसर्टन गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित बाईलेयर गोली में : एज़ेलनिडीपाइन आईपी 8 मिग्रा. टेलमिसर्टन आईपी 80 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स सिंकोम फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड /मैसर्स एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड.	14.40
19.	फ्लूनारिज़िन + डॉम्परिडोन गोली	प्रत्येक अलिपित गोली में: फ्लूनारिज़िन डाइहाइड्रोक्लोराइड बीपी फ्लूनारिज़िन 5 मिग्रा. के बराबर, डॉम्परिडोन आईपी 10 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स विंडलास बायोटेक प्रा. लिमिटेड./ मैसर्स मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड	4.68
20.	बुडेसोनाइड + ग्लाइकोपीरोनियम ब्रोमाइड +फॉर्मेटरोल फ्युमरेटपाउडर फोर इन्हेलेसन	प्रत्येक कैप्सूल में: बुडेसोनाइड आईपी 400 एमसीजी, ग्लाइकोप्राइरोनियम (ग्लाइकोपाइरोलेट आईपी के रूप में) 25 एमसीजी फॉर्मेटरोल फ्युमरेट डाइहाइड्रेट आईपी 12 एमसीजी	1 कैप्सूल	मैसर्स सिप्ला लिमिटेड	13.63
21.	अलोग्लिसिन + मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में: अलोग्लिसिन बेन्जोट 17 मिग्रा. अलोग्लिसिन 12.5 मिग्रा. के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स इंडोको रेमेडीज लिमिटेड	7.82
22.	अलोग्लिसिनल + मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड गोली	प्रत्येक फिल्म लिपित गोली में : अलोग्लिसिन बेन्जोट 17 मिग्रा. अलोग्लिसिन 12.5 मिग्रा. के बराबर, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिग्रा.	1 गोली	मैसर्स इंडोको रेमेडीज लिमिटेड	9.49
23.	विडालग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एस आर) गोली	प्रत्येक अलिपित बाईलेयर गोली में: विडालग्लिप्टिन 50 मिग्रा. मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 500 मिग्रा. (सस्टेंड रिलीज के रूप में)	1 गोली	मैसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज़ प्रा. लिमिटेड./ मैसर्स एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	6.58
24.	विडालग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एस आर) गोली	प्रत्येक अलिपित बाईलेयर गोली में: विडालग्लिप्टिन 50 मिग्रा. मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिग्रा. (सस्टेंड रिलीज के रूप में)	1 गोली	मैसर्स एक्विमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मैसर्स इंटस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	6.58
25.	विडालग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एस आर) गोली	प्रत्येक अलिपित बाईलेयर गोली में: विडालग्लिप्टिन 50 मिग्रा., मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 500 मिग्रा. (सस्टेंड रिलीज के रूप में)	1 गोली	मैसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज़ प्रा. लिमिटेड / मैसर्स जे बी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	6.58
26.	विडालग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एस आर) गोली	प्रत्येक अलिपित बाईलेयर गोली में: विडालग्लिप्टिन 50 मिग्रा., मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड 1000 मिग्रा. (सस्टेंड रिलीज के रूप में)	1 गोली	मैसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज़ प्रा. लिमिटेड./ मैसर्स एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड	7.07
27.	विडालग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एस आर)गोली	प्रत्येक अलिपित बाईलेयर गोली में: विडालग्लिप्टिन 50 मिग्रा., मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिग्रा. (सस्टेंड रिलीज के रूप में)	1 गोली	मैसर्स एक्विमेड फार्मास्यूटिकल्स/ मैसर्स इंटस फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ।	7.07

क्र.सं.	विनिर्माता का नामब्रांड / का नाम	प्रबलता	इकाई	विनिर्माता और विपणन कंपनी	खुदरा मूल्य (₹.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28.	विडालग्लिफ्टिन + मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एस आर) गोली	प्रत्येक अलिपित बाईलेयर गोली में: विडालग्लिफ्टिन 50 मिग्रा., मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी 1000 मिग्रा. (सस्टेंड रिलीज के रूप में)	1 गोली	मैसर्स मैस्कॉट हेल्थ सीरीज़ प्रा. लिमिटेड / मैसर्स जे वी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	7.07
29.	रिक्वाम्बिनेंट रेबीज जी प्रोटीन वेक्सीन 2 मिलि. ग्लास वाइल	0.5 मिली की प्रत्येक शीथी में: रेबीज जी प्रोटीन 50.00 माइक्रोग्राम डी सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट निर्जल आईपी 0.87 मिग्रा. मोनोबैसिक सोडियम फॉस्फेट मोनोहाइड्रेट बीपी 0.88 मिग्रा सोडियम क्लोराइड आईपी 8.76 मिग्रा. टरगिटोल एनपी 9 0.1 माइक्रोलीटर	पर वाइल	मैसर्स कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	681.44

नोट :

- (क) उपर्युक्त दी गई विनिर्दिष्ट फॉर्मूलेशन के विनिर्माता अर्थात् जो "नई ड्रग" डीपीसीओ, 2013 के पैराग्राफ 2(यू) के तहत उपर्युक्त दी गई सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य निर्धारित करेंगे।
- (ख) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (6) में विनिर्दिष्ट खुदरा मूल्य के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए खुदरा मूल्य निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म V में अधिसूचना की तारीख से एक मूल्य सूची एनपीपीए को आईपीडीएमएस के माध्यम से जारी करें तथा उसकी कापी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।
- (ङ.) उपर्युक्त गैर अधिकतम कीमत (खुदरा मूल्य) केवल उपर्युक्त निर्माता/विपणन के लिए लागू है जैसा कि उन्होंने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत अनुबद्ध मूल्य निर्धारण/संशोधन के लिए फॉर्म I पर जमा किया गया था और सरकार द्वारा निर्धारित सभी लागू वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन प्रासंगिक विधियों/नियमों के अन्तर्गत जैसा कि केन्द्रीय/राज्य लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेन्यूफेक्चरिंग लाइसेंस मंजूरी के तहत संबंधित विनिर्मित निर्माता/विपणन कम्पनियां जो अनुपालन करती हैं।
- (च) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त विनिर्मितियों और विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (छ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट विनिर्मितियों के पैकों की खुदरा मूल्य नियत होने के परिणामस्वरूप, आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

[पीएन/212/80/2020/एफ/फा. सं. 8(80)/2020/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, सहायक निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3973(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 5, 11 and 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S. O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA), hereby fixes, the price as specified in column (6) of the table herein below as the retail price, exclusive of goods and services tax, if any, in relation to the formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength, unit and name of manufacturer & marketing company, as specified in the corresponding entries in columns (3), (4) and (5) thereof;

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Moxifloxacin Hydrochloride + Dexamethasone Phosphate Eye Drop	Each ml contains: Moxifloxacin Hydrochloride IP Eq. to Moxifloxacin 0.5% w/v, Dexamethasone Sodium Phosphate Eq. to Dexamethasone Phosphate 0.1% w/v,	1 ML	M/s Skymap Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Albert David Ltd	19.02
2.	Ciprofloxacin + Dexamethasone Sodium Phosphate Eye Drops	Composition: Ciprofloxacin Hydrochloride IP Eq. to Ciprofloxacin 0.3% w/v, Dexamethasone IP 0.1% w/v	1 ML	M/s Skymap Healthcare Pvt. Ltd./M/s Albert David Ltd	1.35
3.	Ofloxacin + Dexamethasone Phosphate Eye/Ear Drops	Composition: Ofloxacin IP 0.3% w/v, Dexamethasone Sodium Phosphate IP 0.1% w/v	1 ML	M/s Skymap Healthcare Pvt. Ltd./ M/s Albert David Ltd	3.77
4.	Ciprofloxacin + Dexamethasone Sodium Phosphate Eye Drops	Each ml contains: Ciprofloxacin Hydrochloride IP eq. to Ciprofloxacin 0.3% w/v, Dexamethasone Sodium Phosphate IP eq. to Dexamethasone Phosphate 0.1% w/v	1 ML	M/s Axa Parenterals Ltd. / M/s Sun Pharmaceuticals Industries Limited	1.35
5.	Telmisartan + Cilnidipine + Metoprolol Tablet (Telmiprime MC 25)	Each uncoated bilayered tablet contains: Telmisartan IP 40mg Cilnidipine IP 10mg Metoprolol Succinate IP 23.75mg eq. to Metoprolol Tartarate 25 mg (as Extended Release form)	1 Tablet	M/s Swiss Garnier Genexia Sciences Pvt. Ltd. / M/s Primus Remedies Pvt. Ltd.	10.16
6.	Telmisartan + Cilnidipine + Metoprolol Tablet (Telmiprime MC 50)	Each uncoated bilayered tablet contains: Telmisartan IP 40mg Cilnidipine IP 10mg Metoprolol Succinate IP 47.50mg eq. to Metoprolol Tartarate 50 mg (as Extended Release form)	1 Tablet	M/s Swiss Garnier Genexia Sciences Pvt. Ltd. / M/s Primus Remedies Pvt. Ltd.	12.41
7.	Metformin Hydrochloride (SR) + Gliclazide (ER) + Pioglitazone Hydrochloride Tablet (Prizide MP 30)	Each Film Coated Bilayered Tablet Contain: Metformin Hydrochloride IP 500mg (as Sustained Release Form) Gliclazide IP 30mg (as Extended Release Form) Pioglitazone Hydrochloride IP eq. to Pioglitazone 15 mg.	1 Tablet	M/s Swiss Garnier Genexia Sciences Pvt. Ltd. / M/s Primus Remedies Pvt. Ltd.	6.15

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Metformin Hydrochloride (SR) + Gliclazide (ER) + Pioglitazone Hydrochloride Tablet (Prizide MP 60)	Each Film Coated Bilayered Tablet Contain: Metformin Hydrochloride IP 500mg (as Sustained Release Form) Gliclazide IP 60mg (as Extended Release Form) Pioglitazone Hydrochloride IP eq. to Pioglitazone 15 mg.	1 Tablet	M/s Swiss Garnier Genexia Sciences Pvt. Ltd. / M/s Primus Remedies Pvt. Ltd.	8.69
9.	Clotrimazole + Lignocaine Hydrochloride Ear Drops	Composition: Clotrimazole IP 1.0% w/v Lignocaine Hydrochloride IP 2.0% w/v	1 ML	M/s Skymap Healthcare Pvt. Ltd.	5.93
10.	Moxifloxacin Hydrochloride + Dexamethasone Phosphate Eye Drops	Each ml contains: Moxifloxacin Hydrochloride IP eq. to Moxifloxacin 0.5% w/v Dexamethasone Sodium Phosphate IP eq. to Dexamethasone Phosphate 0.1% w/v	1 ML	M/s Skymap Healthcare Pvt. Ltd.	19.02
11.	Atorvastatin + Clopidogrel + Aspirin Capsule (Atocor Gold 20)	Each hard gelatin capsule contains: Atorvastatin Calcium IP eq. to Atorvastatin 20mg (As film coated tablet form), Clopidogrel Bisulphate IP eq. to Clopidogrel 75mg (As film coated tablet form), Aspirin IP 75mg (As enteric coated Tablet form)	1 Capsule	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd. / Dr. Reddy's Laboratories Ltd.	5.50
12.	Rosuvastatin + Aspirin + Clopidogrel Capsule	Each hard gelatin capsule contains: Rosuvastatin Calcium IP eq. to Rosuvastatin 20mg (As Pellets) Aspirin IP 75mg (as enteric coated pellets) Clopidogrel Bisulphate IP eq. to Clopidogrel 75mg (As Pellets)	1 Capsule	M/s Synokem Pharmaceuticals Ltd. / M/s Cadila Pharmaceuticals Limited	18.48
13.	Paracetamol + Caffeine Tablet	Each film coated tablet contains: Paracetamol IP 650mg Caffeine Anhydrous IP 50mg	1 Tablet	M/s Acme Generics LLP / M/s Cipla Limited	2.74
14.	Azelnidipine + Telmisartan Tablet	Each film coated bi-layered tablet contains: Azelnidipine IP 8mg Telmisartan IP 80mg	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Limited / M/s Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	16.16
15.	Azelnidipine + Telmisartan Tablet	Each film coated bi-layered tablet contains: Azelnidipine IP 8mg Telmisartan IP 40mg	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Limited / M/s Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	12.93
16.	Calcium + Vitamin D3 + Methylcobalamin + L-Methylfolate Calcium + Pyridoxal – 5- Phosphate Tablet	Each Film coated tablet contains: Calcium Carbonate IP 1250mg eq. to Elemental Calcium 500mg, Vitamin D3 IP 2000IU Mecobalamin IP (Methylcobalamin) 1500mcg, L-Methylfolate Calcium 1mg, Pyridoxal – 5- Phosphate 20mg	1 Tablet	M/s Akums Drugs & Pharmaceuticals Limited / M/s Cipla Limited	17.78
17.	Azelnidipine + Telmisartan Tablet	Each film coated bi-layered tablet contains: Azelnidipine IP 8mg Telmisartan IP 40mg	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Limited / M/s Emcure Pharmaceuticals Ltd.	12.93
18.	Azelnidipine + Telmisartan Tablet	Each film coated bi-layered tablet contains: Azelnidipine IP 8mg	1 Tablet	M/s Synokem Pharmaceuticals Limited / M/s Emcure	14.40

Sl. No.	Name of the Formulation / Brand Name	Strength	Unit	Manufacturer & Marketing Company	Retail Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Telmisartan IP 80mg		Pharmaceuticals Ltd.	
19.	Flunarizine + Domperidone Tablet	Each uncoated tablet contains: Flunarizine Dihydrochloride BP eq. to Flunarizine 5mg, Domperidone IP 10mg	1 Tablet	M/s Windlas Biotech Pvt. Ltd./M/s Mankind Pharma Limited	4.68
20.	Budesonide + Glycopyrronium Bromide + Formoterol Fumarate Powder for Inhalation	Each Capsule contains: Budesonide IP 400 mcg, Glycopyrronium (As Glycopyrrolate IP) 25mcg, Formoterol Fumarate Dihydrate IP 12 mcg	1 Capsule	M/s Cipla Limited	13.63
21.	Alogliptin + Metformin Hydrochloride Tablet	Each film coated tablet contains: Alogliptin Benzoate 17mg eq. to Alogliptin 12.5 mg , Metformin Hydrochloride IP 500MG	1 Tablet	M/s Indoco Remedies Limited	7.82
22.	Alogliptin + Metformin Hydrochloride Tablet	Each film coated tablet contains: Alogliptin Benzoate 17mg eq. to Alogliptin 12.5 mg, Metformin Hydrochloride IP 1000 mg	1 Tablet	M/s Indoco Remedies Limited	9.49
23.	Vildagliptin + Metformin Hydrochloride (SR) Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains: Vildagliptin 50 mg, Metformin Hydrochloride 500 mg (as sustained release form)	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd./M/s Emcure Pharmaceutical Limited	6.58
24.	Vildagliptin + Metformin Hydrochloride (SR) Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains: Vildagliptin 50mg, Metformin Hydrochloride IP 500mg (As sustained release form)	1 Tablet	M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Intas Pharmaceuticals Ltd.	6.58
25.	Vildagliptin + Metformin Hydrochloride (SR) Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains: Vildagliptin 50mg, Metformin Hydrochloride IP 500mg (As sustained release form)	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd. / M/s J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited	6.58
26.	Vildagliptin + Metformin Hydrochloride (SR) Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains: Vildagliptin 50 mg, Metformin Hydrochloride 1000 mg (as sustained release form)	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd./M/s Emcure Pharmaceutical Limited	7.07
27.	Vildagliptin + Metformin Hydrochloride (SR) Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains: Vildagliptin 50mg, Metformin Hydrochloride IP 1000mg (As sustained release form)	1 Tablet	M/s Exemed Pharmaceuticals / M/s Intas Pharmaceuticals Ltd.	7.07
28.	Vildagliptin + Metformin Hydrochloride (SR) Tablet	Each uncoated bilayered tablet contains: Vildagliptin 50mg, Metformin Hydrochloride IP 1000mg (As sustained release form)	1 Tablet	M/s Mascot Health Series Pvt. Ltd. / M/s J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited	7.07
29.	Recombinant Rabies G Protein Vaccine 2ml Glass vial	Each vial of 0.5ml contains: rRabies G Protein 50.00 µg Disodium Hydrogen Phosphate Anhydrous IP 0.87mg Monobasic Sodium Phosphate Monohydrate BP 0.88mg Sodium Chloride IP 8.76mg Tergitol NP9 0.1 µl	1 Vial	M/s Cadila Pharmaceuticals Limited	681.44

Note:

- (a) The manufacturer of above mentioned formulations i.e. “new drug” under paragraph 2(u) of the DPCO, 2013 shall fix the retail price as specified in column (6) of the table hereinabove.
- (b) The manufacturer may add goods and services tax only if they have paid actually or it is payable to the Government on the retail price mentioned in column (6) of the above said table.
- (c) The retail price for a pack of the aforesaid formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the retail price specified in column (6) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the DPCO, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (d) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (e) The above mentioned retail price is applicable only to the individual manufacturer / marketer as mentioned above i.e. who have applied for the same by submitting Form-I for price fixation / revision as stipulated under DPCO, 2013 and subject to fulfilment of all the applicable statutory requirements as laid down by the Govt. under relevant statutes/ rules, including manufacturing license permission from the Competent Authority i.e. the Central/State Licensing Authority, as may be applicable, by the concerned manufacturer/marketing companies.
- (f) In case the retail price of any of the aforesaid formulations is not complied with, as per instant price notification and notes specified hereinabove, then the concerned manufacturer/marketing company shall be liable to deposit the overcharged amount along with the interest thereon under the provisions of the DPCO, 2013 read with the Essential Commodities Act, 1955.
- (g) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/212/80/2020/F.F. No. 8(80)/2020/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Asstt. Director

परिशिष्ट आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3974(अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 25 मार्च 2020 का राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का आदेश सं 1215(अ), जोकि I.V तरल पदार्थ (विशेष सुविधाओं के साथ नॉन-ग्लास) के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है जिसे आदेश सं 1215(अ) दिनांक 25 मार्च 2020 के तालिका, 'बी' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1), (2) और (3) में विनिर्दिष्ट क्र. सं, विनिर्माताओं का नाम और उत्पादों/ब्रांड का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम	उत्पाद/ब्रांड का नाम
(1)	(2)	(3)
16	मैसर्स आर. के. लेबोरेटरीज प्रा०लिमिटेड	यूरोहेड बाटल
17	मैसर्स यूरोलाइफ हेल्थकेयर प्रा०लिमिटेड	लाइफ पोर्ट

2. दिनांक 25 मार्च 2020 के का. आ. 1215(अ) की तालिका में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमतें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त क्र. सं. 16 और 17 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के लिए लागू हैं।

3. मूल आदेश दिनांक 25 मार्च, 2020 के का. आ. 1215(अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और लागू होंगे केवल टिप्पणी (क) और (ग) को छोड़कर, जो उपरोक्त क्र. सं. 16 और 17 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं पर लागू नहीं होते हैं।

[पीएन/212/80/2020/एफ/फा. सं. 8(80)/2020/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, सहायक निदेशक

ADDENDUM ORDER

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3974(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1215(E) dated 25th March 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of Scheduled formulation packs of I.V. fluids (non-Glass with special features) is hereby extended for the following manufacturer with the insertion of the Sl. No., Name of Manufacturers and Products/ Brand name, specified in column no. (1), (2) and (3) respectively in Table 'B' of S.O. No. 1215(E) dated 25.03.2020, as detailed below:

Sl. No.	Name of Manufacturer	Product/ Brand Name
(1)	(2)	(3)
16	M/s R. K. Laboratories Pvt. Ltd	Eurohead bottle
17	M/s Eurolife Healthcare Pvt. Ltd	Life port

2. The ceiling prices specified in Table A of S.O. 1215(E) dated 25th March 2020 are applicable to the manufacturers specified in Sl. Nos. 16 & 17 above from the date of publication of this Order.

3. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 1215(E) dated 25th March, 2020 shall remain same and are applicable except that notes (a) and (c) are not applicable to the manufacturers specified in Sl. Nos. 16 & 17 above.

[PN/212/80/2020/F/F. No. 8(80)/2020/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Asstt. Director

परिशिष्ट आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3975(अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 25 मार्च 2020 के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं 1216(अ), जोकि विशेष सुविधाओं वाले पैक में रिंगर लैक्टेट इंजेक्शन के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है, एतद द्वारा आदेश सं. 1216(अ) दिनांक 25 मार्च 2020 के तालिका, 'बी' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1) और (2) में क्र. सं और विनिर्माताओं का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम
(1)	(2)
11.	मैसर्स आर. के. लेबोरेटरीज प्रा० लिमिटेड

2. दिनांक 25 मार्च 2020 के का. आ. 1216 (अ) की तालिका क में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमतें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त क्र. सं. 11 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के लिए लागू हैं।

3. मूल आदेश दिनांक 25 मार्च, 2020 के का. आ. 1216 (अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और लागू होंगे केवल टिप्पणी (क) और (ग) को छोड़कर, जो उपरोक्त क्र. सं. 11 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं पर लागू नहीं होते हैं।

[पीएन/212/80/2020/एफ/फा. सं. 8(80)/2020/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, सहायक निदेशक

ADDENDUM ORDER

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3975(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1216(E) dated 25th March 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of Ringer lactate injection in pack having special features is hereby extended for following manufacturers with the insertion of the Sl. No. and Name of Manufacturers, specified in column no. (1) and (2) respectively in Table 'B' of S.O. No. 1216(E) dated 25th March 2020, as detailed below:

Sl. No.	Name of Manufacturer
(1)	(2)
11	M/s. R. K. Laboratories Pvt. Ltd

2. The ceiling prices specified in Table A of S.O. 1216(E) dated 25th March 2020 are applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 11 above from the date of publication of this Order.

3. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 1216(E) dated 25th March, 2020 shall remain same and are applicable except that notes (a) and (c) are not applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 11 above.

[PN/212/80/2020/F/F. No. 8(80)/2020/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Asstt. Director

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3976(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का0 आ0 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 आर 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (जिसे संक्षिप्त रूप से एनपीपीए कहा जाता है) नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क.सं.	अनुसूचित विनिर्मित का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	टी डी वैक्सिन	प्रत्येक 0.5 मिली. डोसेस मे: डिप्थेरिया टोक्साइड ≤5Lf (≥ 2IU) टेटनस टोक्साइड ≥ 5Lf (≥ 40IU)	प्रत्येक 0.5 मिली. पैक	18.69
2.	टी डी वैक्सिन	प्रत्येक 0.5 मिली. डोसेस मे: डिप्थेरिया टोक्साइड ≤5Lf (≥ 2IU) टेटनस टोक्साइड ≥ 5Lf (≥ 40IU)	प्रत्येक 5 मिली. पैक	175.59
3.	टी डी वैक्सिन	प्रत्येक 0.5 मिली. डोसेस मे: डिप्थेरिया टोक्साइड ≤25Lf (≥ 30IU) टेटनस टोक्साइड ≥ 5Lf (≥ 40IU)	प्रत्येक 0.5 मिली. पैक	16.02
4.	टेक्रोलिमस	गोली 0.5 मि. ग्राम.	1 गोली	18.68
5.	टेक्रोलिमस	गोली 1 मि. ग्राम.	1 गोली	34.31
6.	टेक्रोलिमस	गोली 2 मि. ग्राम.	1 गोली	67.77

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्मितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्मितियों के सभी विनिर्माता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्मितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्मितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्मितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्माता वितरकों को जारी करें।
- (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 24 (4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्माता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।
- (च) उपर्युक्त सारणी में यथा विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मितियों का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2(यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो ऐसे मौजूदा विनिर्माता की औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट फॉर्म-I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के पूर्व मूल्य अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।
- (छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो तो इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले अनुसूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[पीएन/212/80/2020/एफ/फा. सं. 8(80)/2020/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3976(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the price as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of goods and services tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form & Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TD Vaccine	Each dose of 0.5ml contains: Diphtheria Toxoid $\leq 5\text{Lf}$ ($\geq 2\text{IU}$) Tetanus Toxoid $\geq 5\text{Lf}$ ($\geq 40\text{IU}$)	Each 0.5ml Pack	18.69
2.	TD Vaccine	Each dose of 0.5ml contains: Diphtheria Toxoid $\leq 5\text{Lf}$ ($\geq 2\text{IU}$) Tetanus Toxoid $\geq 5\text{Lf}$ ($\geq 40\text{IU}$)	Each 5ml Pack	175.59
3.	TD Vaccine	Each dose of 0.5ml contains: Diphtheria Toxoid $\leq 25\text{Lf}$ ($\geq 30\text{IU}$) Tetanus Toxoid $\geq 5\text{Lf}$ ($\geq 40\text{IU}$)	Each 0.5ml Pack	16.02
4.	Tacrolimus	Tablet 0.5 mg	1 Tablet	18.68
5.	Tacrolimus	Tablet 1 mg	1 Tablet	34.31
6.	Tacrolimus	Tablet 2 mg	1 Tablet	67.77

Note:

- (a) All manufacturers of Scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of Scheduled formulations at a price higher than the ceiling price (plus goods and services tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulations downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.
- (b) All the existing manufacturers of above mentioned Scheduled formulations having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (d) The ceiling price for a pack of the Scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (f) Where an existing manufacturer of Scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (g) The manufacturers of above said Scheduled formulations shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of Scheduled formulations in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said Scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and / or import of Scheduled formulation in Form-IV of Schedule-II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.

- (i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/212/80/2020/F/F. No. 8(80)/2020/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Asstt. Director

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2020

का.आ. 3977(अ).—भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का0 आ0 1394(अ) तारीख 30 मई, 2013 और का0 आ0 701(अ) तारीख 10 मार्च, 2016 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 और 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश का.आ. 1214(अ) तारीख 25 मार्च, 2020, के आदेश के क्रम सं. 11 और 13 अधिक्रमण में जहां तक उसका संबंध नीचे की सारणी के विनिर्भित पैक से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट खुराक रूप एवं प्रबलता और इकाई सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्भितियों में से प्रत्येक की, वस्तु एवं सेवा कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है:

सारणी

क.सं.	अनुसूचित विनिर्भित का नाम	खुराक रूप एवं प्रबलता	इकाई	अधिकतम कीमत (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राजिक्यूनटेल	गोली 600 मिग्रा	1 गोली	34.63
2.	सोडियम नाईट्रेट	इंजैक्शन 30 मिग्रा./मिलि.	1 मिलि.	25.91

नोट :

- (क) सरकार द्वारा इस प्रकार नियत की गई और अधिसूचित की गई अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों) से अधिक कीमत पर अनुसूचित विनिर्भितियों के ब्रांडेड या जेनेरिक या दोनों रूपांतरों को बेच रहे अनुसूचित विनिर्भितियों के सभी विनिर्भिता, उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत (धन वस्तु एवं सेवा कर, जो लागू हों) से अधिक सभी ऐसी विनिर्भितियों की कीमत का अधोमुखी पुनरीक्षण करेंगे।
- (ख) सभी मौजूदा निर्माताओं को उपर्युक्त कथित अनुसूचित विनिर्भितियों के अधिकतम खुदरा कीमत उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत वस्तु एवं सेवा कर सहित से कम है तो, जहां कहीं भी लागू हो, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 13(2) के अनुसार उसको मौजूदा अधिकतम खुदरा कीमत को बनाए रखना होगा।
- (ग) अगर निर्माताओं ने उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित अधिकतम कीमत पर सरकार को वास्तव में भुगतान किया है या यह देय है तो वे वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ सकते हैं।
- (घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 11 में दिए गए प्रावधानों के तहत सम्बन्धित निर्माताओं को उपर्युक्त सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमत के आधार पर अनुसूचित विनिर्भितियों के पैकों के लिए अधिकतम कीमत निर्धारित करें। निर्माता औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैराग्राफ 24 के तहत फॉर्म-V में अधिसूचना की तारीख से आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को एक मूल्य सूची जारी करें तथा उसकी कॉपी राज्य औषधि नियंत्रकों और विनिर्भिता वितरकों को जारी करें।
- (ङ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के 24 (4) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक फुटकर विक्रेता और वितरक विनिर्भिता द्वारा दिए गए रूप में ऐसे परिसर, जहां कारोबार को इस प्रकार किया जा रहा है

- कि उससे परामर्श के इच्छुक किसी व्यक्ति के लिए पहुंच आसान हो, वहां उसके किसी सहजदृश्य भाग पर कीमत सूची और पूरक सूची, यदि कोई हो, को संप्रदर्शित करेगा।
- (च) उपर्युक्त सारणी में यथा—विनिर्दिष्ट खुदरा या प्रबलता या दोनों के साथ अनुसूचित विनिर्मिति का कोई मौजूदा विनिर्माता औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 के पैरा 2(यू) के अनुसार कोई नई औषधि को लांच करता है तो उसे मौजूदा विनिर्माता को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 2013 की अनसूची-II के अंतर्गत यथा—विनिर्दिष्ट फार्म-I में एनपीपीए को ऐसी नई औषधि के मूल्य पूर्व अनुमोदन हेतु आवेदन करना होगा।
- (छ) उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों की उत्पादन/आयात और बिक्री के सम्बन्ध में निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के सूची II के फॉर्म III को आईपीडीएमएस के माध्यम से भरकर एनपीपीए को हर तिमाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त अनुसूचित विनिर्मितियों के निर्माण को कोई निर्माता उत्पादन बन्द करने का इच्छुक हो ता इसकी सूचना एनपीपीए को अवगत करायेगा। इसके सम्बन्ध में अगर अनुसूचित विनिर्मितियों के उत्पादन और आयात को बन्द करने का इच्छुक है तो बन्द करने की तिथि से छः महीने पहले सूची II के फॉर्म IV में भरकर एनपीपीए को प्रस्तुत करेगा।
- (ज) विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उपरोक्त कथित सारणी में दर्शाये अधिकतम मूल्य और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे।
- (झ) इस आदेश में उपरोक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट ऐसी विनिर्मितियों के पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणामस्वरूप, अधिकतम या खुदरा मूल्य निर्धारित आदेश यदि कोई हो, जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही अधिक्रमण हो जायेंगे।

[का. सं. /212/80/2020/एफ/का. सं. 8(80)/2020/डी.पी./एनपीपीए-डी.वी.-II]

प्रसेनजीत दास, सहायक निदेशक

ORDER

New Delhi, the 3rd November, 2020

S.O. 3977(E).—In exercise of the powers conferred by paragraphs 4, 6, 10, 11, 14, 16, 17 and 18 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013, read with S.O. 1394(E) dated the 30th May, 2013 and S.O. 701(E) dated 10th March, 2016 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, and in supersession of the item specified at Sl. No. 11 & 13 of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers (National Pharmaceutical Pricing Authority) S.O. 1214(E), dated 25th March 2020, in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority (hereinafter referred as NPPA) hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table herein below as ceiling price exclusive of goods and services tax applicable, if any, in respect of the Scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the dosage form & strength and unit specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the Scheduled Formulation	Dosage form & Strength	Unit	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Praziquantel	Tablet 600 mg	Per tablet	34.63
2.	Sodium nitrite	Injection 30 mg/ml	Per ml	25.91

Note:

- (a) All manufacturers of Scheduled formulation, selling the branded or generic or both the versions of Scheduled formulation at a price higher than the ceiling price (plus goods and services tax as applicable) so fixed and notified by the Government, shall revise the prices of all such formulation downward not exceeding the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any.

- (b) All the existing manufacturers of above mentioned Scheduled formulation having MRP lower than the ceiling price specified in column (5) in the above table plus goods and services tax as applicable, if any, shall continue to maintain the existing MRP in accordance with paragraph 13 (2) of the DPCO, 2013.
- (c) The manufacturers may add goods and services tax only if they have paid actually or if it is payable to the Government on the ceiling price mentioned in column (5) of the above said table.
- (d) The ceiling price for a pack of the Scheduled formulation shall be arrived at by the concerned manufacturer in accordance with the ceiling price specified in column (5) of the above table as per provisions contained in paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 2013. The manufacturer shall issue a price list in Form-V from date of Notification as per paragraph 24 of the DPCO, 2013 to NPPA through IPDMS and submit a copy to State Drug Controller and dealers.
- (e) As per para 24(4) of DPCO 2013, every retailer and dealer shall display price list and the supplementary price list, if any, as furnished by the manufacturer, on a conspicuous part of the premises where he carries on business in a manner so as to be easily accessible to any person wishing to consult the same.
- (f) Where an existing manufacturer of Scheduled formulation with dosage or strength or both as specified in the above table launches a new drug as per paragraph 2 (u) of the DPCO, 2013 such existing manufacturer shall apply for prior price approval of such new drug to the NPPA in Form I as specified under Schedule-II of the DPCO, 2013.
- (g) The manufacturers of above said Scheduled formulation shall furnish quarterly return to the NPPA, in respect of production / import and sale of Scheduled formulation in Form-III of Schedule-II of the DPCO, 2013 through IPDMS. Any manufacturer intending to discontinue production of above said Scheduled formulation shall furnish information to the NPPA, in respect of discontinuation of production and/or import of Scheduled formulation in Form-IV of Schedule II of the DPCO, 2013 at least six months prior to the intended date of discontinuation.
- (h) The manufacturers not complying with the ceiling price and notes specified hereinabove shall be liable to deposit the overcharged amount along with interest thereon under the provisions of the Drugs (Prices Control) Order, 2013 read with Essential Commodities Act, 1955.
- (i) Consequent to the issue of ceiling price of such formulation as specified in column (2) of the above table in this notification, the price order(s) fixing ceiling or retail price, if any, issued prior to the above said date of notification, stand(s) superseded.

[PN/212/80/2020/F/F. No. 8(80)/2020/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Asstt. Director